प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3— निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
4— अपर निदेशक, मा0/प्रा0, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
5— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मा0/प्रा0, उत्तराखण्ड।
7— समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)
8— समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)

पत्रांकः सेवा–प्रशा0/ 1009-18 /स्थानान्तरण/2018–19 दिनांक 9 मई 2018

विषयः **उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों से विकल्प मांगे जाने के संबंध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0:म0नि0/851/सेवाएं–1/2018–19, दिनांक 03 मई 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 इच्छित स्थानों (प्राथमिकता क्रम में) के लिए 05–05–2018 एवं 08–05–2018 तक अनुरोध का आवेदन पत्र विकल्प सहित प्रेषित किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत समूह 'क' एवं 'ख' की निम्न सूचियां/विकल्प पत्र School Education.gov.in की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

1— सम्पूर्ण सेवावधि में दुर्गम क्षेत्र की तैनाती की कुल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में सूची। (समूह 'क')।
2— सम्पूर्ण सेवा अवधि में सुगम क्षेत्र की तैनाती की कुल अवधि के अनुसार अवरोही क्रम में सूची। (समूह 'क')
3— सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची (समूह 'क')।
4— दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची (समूह 'क')।
5— उक्त बिन्दु सं0 3 व 4 में अंकित पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों (प्राथमिकता क्रम में) के लिए विकल्प पत्र का प्रारूप।
6— अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।
7— पूर्व प्रदर्शित वास्तविक रिक्तियों की संशोधित सूची (दिनांक 31–05–2018 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त फलित रिक्तियों को शामिल करते हुए)।

उक्तानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित समस्त अधिकारियों एवं अनुरोध के आधार पर आवेदन करने वाले समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्ण रूप से भरे हुए विकल्प पत्र एवं आवेदन पत्र दिनांक 15–05–2018 को सांय 05.00 बजे तक अनिवार्यतः महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
09/05/2018
(बन्दना गर्ब्याल)
प्रभारी अपर निदेशक
महानिदेशालय
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 / महानिदे0 / 1009-18 / 2018—19 दिनांकित।

प्रतिलिपि— 1— सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

2— एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को संबंधित अधिकारियों को तत्काल ई—मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

09/05/2018

(बन्दना गर्ब्याल)
प्रभारी अपर निदेशक
महानिदेशालय
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड